(151)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 831—तीन/2008 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 16—04—2008 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 376/अपील/1992—93.

.....

रामरतन पुत्र अपरबल यादव (फौत)
वारिसानः—
1—श्रीमती कमला बाई वेवा स्वc श्री रामरतन यादव
2—काशी राम 3—दाखीराम
4—प्रहलाद (फौत) वारिसान :—
अ—शंकर ब—राजभन स— संतराम
द—बन्टी ई— मन्टू अवयस्क द्वारा संरक्षक भाई शंकर
पुत्रगण स्व0 श्री प्रहलाद
5—कल्लू उर्फ लाजीराम
6—श्रीमती नेवा 7— श्रीमती भान कुंवर
पुत्रियां स्व0 श्री रामरतन यादव
समस्त निवासीगण ग्राम कचनारिया
थाना बामौर जिला शिवपुरी म0 प्र0

——— आवेदकगण

विरूद्ध

1—चंदन पुत्र भगत सिंह ग्राम पिपराटंगा
2—हरी पुत्र भगतसिंह ग्राम पिपराटंगा
3—श्रीमती इंदर पत्नी चंदन ग्राम खिसलोनी
4—सेवक पुत्र अनरत ग्राम खिसलोनी
5—नत्थू पुत्र बुद्वा ग्राम खिसलोनी
6—दयाला पुत्र परमा ग्राम खिसलोनी
7—पहलू पुत्र चांदा ग्राम खिसलोनी
8—सुमित्रा पत्नी खुमान ग्राम खिसलोनी
9—चंदन पुत्री बैजनाथ ग्राम खिसलोनी

10–रैना पुत्री धनीराम
11–कमला बाई पत्नी शीतल प्रसाद
निवासीगण पिपरा तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी म0 प्र0
12–नथन सिंह पुत्र सूरत सिंह
निवासीगण पिपरा तहसील खनियाधाना
जिला शिवपुरी म0 प्र0
13–हरदेवा 14–किशनलाल पुत्रगण
दौला निवासीगण खिसलोनी
15–रमेश पुत्र रतन सिंह निवासी
पिपराटना तहसील पिछोर
16–राजो पुत्री रामचरण ग्राम खिसलोनी
17–प्रेम पुत्री रामरचण ग्राम खिसलोनी
18–विदिया पत्नी देवचंद ग्राम खिसलोनी
19–वेवाल पुत्र नन्हे ग्राम खिसलोनी
20–हल्कै भैया पुत्र रामरत ग्राम खिसलोनी
21–तिलुआ पुत्र परीक्षत निवासी पिपरा
22–रामकली पत्नी रघुवर ग्राम खिसलोनी
23–इंदर पत्नी चंदन ग्राम खिसलोनी
24–रामदेवी पत्नी नंदकिशेर ग्राम खिसलोनी
25–प्रहलाद पुत्र रामरतन ग्राम खिसलोनी
26–कलावती पत्नी चिरोंजीलाल ग्राम खिसलोनी
27–अवल कुमार पुत्री हरदास ग्राम खिसलोनी
28–जयराम पुत्र रतन सिंह ग्राम खिसलोनी
29–बालकृष्ण आनंदी निवासी नयागांव
30–भवनी सिंह पुत्र बलवीर सिंह ग्राम खिसलोनी
31–भूता पुत्री मधु ग्राम खिसलोनी
32–भागवती पुत्र अनंदी निवासी खनियाधाना
33–भूरा पुत्र पारीक्षत निवासी पिपरा
समस्त निवासी जिला शिवपुरी म0 प्र0

———अनावेदकगण

.....

श्री पी0 के0 तिवारी, अभिभाषक, आवेदक के वारिसानों की ओर से उपस्थित।
श्री 'शंकर सिंह तोमर, अभिभाषक, अनावेदक–कमांक–4
शेष अनावेदकगण एक पक्षीय है।

.....

आदेश

(आज दिनांक 31/08/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–04–2008 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी पिछोर जिला शिवपुरी द्वारा अपने प्रकरण कमांक 2/अ–19/89–90 में पारित आदेश दिनांक 27.7.90 के द्वारा ग्राम खिसलोनी में सीलिंग से अतिशेष घोषित भूमि का हरिजनों, आदिवासी एवं भूमिहीन व्यक्तियों को वंटन किया गया। इस आदेश से परिवेदित होकर इस न्यायालय में अनावेदक कमांक–12 नथन सिंह ने कलेक्टर जिला शिवपुरी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की। कलेक्टर जिला शिवपुरी द्वारा प्रकरण कमांक 21/अपील/90–91 में पारित आदेश दिनांक 21.4.93 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 27.7.90 निरस्त किया गया तथा प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया। इससे दुखित होकर अनावेदक कमांक 1 से 11 ने अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण कमांक 376/92–93/अपील पर दर्ज होकर उसमें दिनांक 16.4.08 को आदेश पारित कर अपील स्वीकार की गई, (लेकिन अपर आयुक्त कें न्यायालय में आवेदक अधिवक्ता के अनुरोध पर निगरानी के रूप में सुना गया) इसी से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

4–उभयपक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने। प्रकरण में संलग्न अभिलेख का अध्ययन किया गया। अध्ययन से प्रतीत होता है कि ग्राम खिसलोनी में सीलिंग में अतिशेष घोषित भूमि के बंटन बावत विधिवत तहसीलदार के द्वारा इस्ताहर जारी किया जाकर आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे, उसके पश्चात ही भूमिहीन, हरिजन, आदिवासियों को पटटे् नियमानुसार आबंटित किये गये थे। आवेदक अधिवक्ता का मुख्य तर्क यह है कि अनावेदकगण द्वारा तथाकथित पटटे् का प्रकरण दर्शाते हुये आपस में मिलकर विवादित प्रकरण अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत कर अन्य अनावेदकगण के हित में जारी तथाकथित आराजी के पटट्ो को निरस्त कराये जाने बावत प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसमें विवादित आदेश पारित किया गया है। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा यह भी मुख्य तर्क किया है कि अपर आयुक्त के आदेश में किस को किस सर्वे नम्बर से पटट्ा आंबटित किया गया है।

5–मेरे द्वारा प्रकरण के अवलोकन से यह भी प्रतीत होता है कि आवेदक अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के न्यायालय में पक्षकार ही नहीं था, और अगर विवादित भूमि में हित रखता है तो वह पहले अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनता और उसके बाद अपने हित संबंधी पक्ष रखता। आवेदक द्वारा इस न्यायालय से पक्षकार बनने का अनुतोष चाहा गया है, जबकि उसके के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार बनने का प्रयास ही नहीं किया गया, अगर वह अपना विवादित भूमि में हित रखता तो वह पक्षकार बनने संबंधी कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय में करता।

6–उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग ग्वालियर के प्रकरण कमांक 376/अपील/1992–93 में पारित आदेश दिनांक 16.4.2008 में कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है, इसलिये अपर आयुक्त ग्वालियर के आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। उनका आदेश उचित होने से स्थिर रखा जाता है। परिणामस्वरूप आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर